न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी—मांगीलाल आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धाराः—53 आरटीए
प्रकरण संख्याः—355/2020

नजीरा बेगम पत्नी अलीशेर जाति मुसलमान निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीया.

बनाम्

1. छिलांबाई पुत्री फौजासिह
2. जंगीरसिह पुत्र फौजासिह
3. ज्वालोबाई पत्नी फौजांसिह
4. मंगतसिह पुत्र फौजासिह

जाति रायसिख निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

5. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण

उपस्थित—श्री सुभाष चन्द्र गर्ग अधिवक्ता वादीया
श्री महावीरप्रसाद वर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :— 22.01.2021

वादीया नजीरा बेगम ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत खाता विभाजन के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि चकनं0 15 सीडीआर के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 26/7 में कुल 1.012 है0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें वादीया का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादीया सं0 1 का 17/506 हिस्सा, प्रतिवादीसं0 2 का 17/506 हिस्सा, प्रतिवादीया सं0 3 का 657/1012 हिस्सा, प्रतिवादीसं0 4 का 17/506 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त खाता में दर्ज है।वादीया की उक्त भूमि जरिये बैयनामा खरीदशुदा है उक्त भूमि खरीद के वक्त वादीया को वादपत्र की दफा 3 में दर्ज आराजी के अनुसार वादीया को कब्जा दिया गया था जिंसके सम्बन्ध में प्रतिवादीया सं0 3 ज्वालो बाई द्वारा शपथ पत्र भी लिखकर दिया हुआ है। वादीया अपने कब्जा काश्त की भूमि प0न0 207/266 मु0 6 किलानं0 5/1/.228 नहरी, 5/2/.025 है0 गै0मु0 खाला कुल .253 है0 पर काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है व अपनी आराजी की रकम राज व नहरी आबियाना आदि जमा करवाती चली आ रही है लेकिन वादीया की आराजी का खाता प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त रहने से वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य आपस मे रकम राज जमा करवाने तथा काश्त के समय सीमा का विवाद बना रहता है।इसलिए वादीया अपनी आराजी का खाता प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त नही रखना चाहती है व वादपत्र की दफा 3 मे दर्ज बटवारां के अनुसार अपनी आराजी का खाता अलग से कायम करवाकर रकम राज अलग से कायम करवाना चाहती है।

वादीया ने प्रतिवादीगण को वादपत्र की दफा 3 में दर्ज वादीया के कब्जा काश्त की आराजी का खाता अलग से तकसीम करवाने व रकम राज अलग से कायम करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये।बस यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 द्वारा अपना सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी हम प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त खाता मे दर्ज होना व वादीया

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
टिब्बी

की उक्त भूमि जरिये बैयनामा खरीदशुदा होना स्वीकार है। चकनं0 15 सीडीआर के प0न0 207/266 मु0 6 किलानं0 5/1/.228 नहरी, 5/2/.025 है0 गै0मु0 खाला कुल .253 है0 आराजी पर वादीया का भूमि खरीद के समय से ही कब्जा चला आ रहा है व वादीया उक्त भूमि की रकम राज व नहरी आबियाना आदि जमा करवाती चली आ रही है।वादीया, वादपत्र की दफा 3 मे दर्ज अपने कब्जा काश्त की आराजी चकनं0 15 सीडीआर के प0न0 207/266 मु0 6 किलानं0 5/1/.228 नहरी, 5/2/.025 है0 गै0मु0 खाला कुल .253 है0 आराजी पर मे प्राप्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है तथा अपनी आराजी की रकम राज जमा करवांती चली आ रही है व उपरोक्त अनुसार ही आराजी वादीया के कब्जा काश्त में है। इसलिए वादीया के कब्जा काश्त की आराजी का खाता अलग से कायम किया जाकर रकम राज अलग से कायम की जाती है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एतराज नही है। हम पक्षकारान इससे सहमत है।जवावदावा के साथ पक्षकारान की आईडी की फोटो प्रतियॉ पेश की गई। वादीया द्वारा अपना साक्ष्य का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी स्टेट द्वारा अपना जबावदावा प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किये गये।

वहस सुनी गई।वकील वादीया ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीया व प्रतिवादीगण की भूमि संयुक्त खाता मे दर्ज है तथा वादीया द्वारा अपनी भूमि जरिये बैयनामा खरीद की हुई है। प्रतिवादीया सं0 3 द्वारा वादीया के कब्जा की भूमि बाबत शपथ पत्र भी दिया है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जबाबदावा में वादीया के वाद को स्वीकार किया है व वादीया के कब्जा काश्त को भी स्वीकार किया है। वादीया का वाद पूर्णतया साबित है।मुताबिक जबाबदावा के अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

वहस सुनने के वाद प्रस्तुत दस्तावेजों जमाबन्दी,सहमति का जबाबदावा,वादीया का शपथ पत्र, प्रतिवादीया सं0 3 द्वारा वादीया के पक्ष में निष्पादित शपथपत्र, का गहराई से अध्ययन किया गया।राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादीया व प्रतिवादीगण के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज है। पत्रावली में वादीया द्वारा जो दस्तावेज जमाबन्दी प्रस्तुत किये गये उन दस्तावेजो के आधार पर वादीया का वाद साबित है।प्रतिवादीगण द्वारा वादीया के वाद का कोई विरोध नही किया गया है व मुताबिक जबाबदावा वाद वादीया स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताबिक जबाबदावा व प्रस्तुत दस्तावेजात, सहमति के आधार पर वाद वादीया साबित करने में सफल रही है।वाद वादीया स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

अतः वाद वादीया स्वीकार किया जाता है कि चकनं0 15 सीडीआर के प0न0 207/266 मु0 6 किलानं0 5/1/.228 नहरी, 5/2/.025 है0 गै0मु0 खाला कुल .253 है0 आराजी की वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादीया की आराजी का खाता तकसीम कर रकम राज अलग से कायम किये जाने व शेष खाता बदस्तुर रखे जाने के आदेश दिये जाते है।पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
(भागीलाल)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:–355 / 2020

नजीरा बेगम पत्नी अलीशेर जाति मुसलमान निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीया

बनाम्

1. छिलाबाई पुंत्री फौजासिह
2. जंगीरसिह पुत्र फौजासिह
3. ज्वालोबाई पत्नी फौजासिह
4. मंगतसिह पुत्र फौजासिह

जाति रायसिख निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हंनुमानगढ।

5. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादीया मिन जामिन मुदई श्री महावीरप्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चकनं0 15 सीडीआर के प0न0 207 / 266 मु0 6 किलानं0 5 / 1 / .228 नहरी, 5 / 2 / .025 है0 गै0मु0 खाला कुल .253 है0 आराजी की वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादीया की आराजी का खाता तकसीम कर रकम राज अलग से कायम किये जाने व शेष खाता बदस्तुर रखे जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज....X....निल..X......मुव्किक.X.....निल....X......वावत्....X.....निल.....X........खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ...X.......अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 22.01.2021 को जारी किया गया।

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी